अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी, 2015

का.आ. 467(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.06.2008 की अधिसूचना सं0 **का**०आ0 1462 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "ल्यूपिन ह्यूमन वेल्फेयर एंड रिसर्च फाऊंडेशन, 159, सी.एस.टी. रोड, कालिना, सांताकुंज (ईस्ट), मुंबई-400098" द्वारा "एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 18 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 2408 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया

था; और जिसे बाद में दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 3880 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 18 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 2408 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 14.35 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 24.09 करोड़ रू0 कर दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 27.12.2013 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 3880 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 24.09 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 34.09 करोड़ रू0 कर दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत के 34.09 करोड़ रू0 से बढ़कर 125 करोड़ रूपए होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 34.09 करोड़ रू0 से बढ़ाकर 125 करोड़ रू0 करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा दिनांक 17 जून, 2008 की उक्त अधिसूचना सं० **का**०आ० 1462 (अ०) (दिनांक 18 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना सं० **का**०आ० 2408 (अ०) के साथ पठित) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामत:-

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 1 की सारणी के कॉलम 4 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित "34.09 करोड़ रूपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "125 करोड़ रूपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 97/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)